

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
फाईल नं. 24/119/Misc./UP/2018-ESDW
सुनवाई तिथि 18.09.2018 का कार्यवृत्त

उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, संयुक्त सचिव, आगरा विकास प्राधिकरण, सहायक अभियंता, आगरा विकास प्राधिकरण, श्री आशोक कोटिया, प्रार्थी सुनवाई में उपस्थित थे।

प्रकरण में विस्तार से चर्चा हुई व तय हुआ कि सामुदायिक उपयोग के लिए एक बहु-उद्देशीय भवन का लगभग 600 से 650 वर्गमीटर एरिया में निर्माण आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। उसके उपयोग तथा अन्य सभी सामुदायिक केन्द्रों के उपयोग के लिए नियम बनाए जाएँगे तथा आगरा विकास प्राधिकरण उस हेतु एक टोकन फीस भी निर्धारित कर वसूल करेंगी व उस फीस से उसका रखरखाव किया जाएगा।

आयोग का सुझाव है कि आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई सभी सामुदायिक बहु-उद्देशीय भवनों के उपयोग हेतु उपरोक्त व्यवस्था को लागू करना उचित होगा।

कृत कार्रवाई की सूचना 3 महीने में प्रस्तुत की जाए। तदानुसार अगली सुनवाई पर निर्णय लिया जाएगा।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)

अध्यक्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग